

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी:- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 57/2024

वादीगण :-

1. प्रेमसिंह सेपटा पुत्र स्व. श्री भीयाराम सेपटा, आयु 28 वर्ष, जाति सीरवी निवासी चैनपुरा की ढाणी के पास बेरा बादेली, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. गीतादेवी पुत्री स्व. श्री मोहनराम पत्नी स्व. श्री भीयाराम सेपटा, आयु 56 वर्ष जाति सीरवी निवासी चैनपुरा की ढाणी के पास बेरा बादेली, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पानीदेवी पत्नी स्व. श्री मोहनराम, जाति सीरवी निवासी कागों का बेरा वार्ड नं. 6 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. शाखा प्रबन्धक, एक्सिस बैंक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत् खातेदारी घोषणा हेतु

उपस्थिति:-वादीगण की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 3 सरकारी परोकार।

निर्णय

दिनांक:- 13/08/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5867/4560 रकबा 0.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5870/4566 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5872/4572 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5873/4572 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5876/4574 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5878/4559 रकबा 0.2022 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5881/4567 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5882/4580 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5886/4583 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5888/4587 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 2.6939 हैक्टेयर आई हुई है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5861/4562 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5862/4562 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर आई हुई है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि



17  
सहायक कलक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

भूमि 'बी' से सम्बोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4570 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4571 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4573 रकबा 0.2751 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर आई हुई है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 व भुण्डाराम के नाम से दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व भुण्डाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खातेदार भुण्डाराम द्वारा अपना 1/3 हिस्सा की भूमि अपने जीवनकाल में वादी संख्या 1 व 2 के पिता/पति भीयाराम पुत्र श्री ओगड़राम को वसीयतनामा दिनांक 30.12.2022 द्वारा वसीयत कर दी। खातेदार भुण्डाराम का स्वर्गवास दिनांक 04.03.2023 को हो गया। खातेदार भुण्डाराम फौत होने से खातेदार भुण्डाराम द्वारा भीयाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रभाव में आ गया तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर खातेदार भुण्डाराम के 1/3 हिस्से की भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार भीयाराम को प्राप्त हुए। भीयाराम का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2024 को हो गया, स्व. भीयाराम के वारिसान वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 है। भीयाराम निर्वसीयत फौत होने से भीयाराम के वारिसान को भीयाराम की वसीयत से प्राप्त 1/3 हिस्से की भूमि में प्रत्येक वारिस को 1/3-1/3-1/3 हिस्सा निहित हुआ तथा वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' की सम्पूर्ण भूमि में से भीयाराम के प्रत्येक वारिसान को 1/9-1/9-1/9 हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' में वादी संख्या 1 का 1/9 वॉ हिस्सा निहित व बनता है, वादी संख्या 2 का दर्ज 1/3 हिस्सा + निहित 1/9 वॉ हिस्सा कुल 4/9 वॉ हिस्सा निहित व बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज 1/3 हिस्सा + निहित 1/9 वॉ हिस्सा कुल 4/9 वॉ हिस्सा निहित व बनता है। वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं है, जबकि वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादी संख्या 1 को 1/9 वॉ हिस्से, वादी संख्या 2 को 4/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 4/9 वॉ हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में वादी संख्या 2, प्रतिवादी संख्या 1 व भुण्डाराम के नाम से दर्ज है। जिसमें वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व भुण्डाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है। खातेदार भुण्डाराम द्वारा अपना 1/3 हिस्सा की भूमि अपने जीवनकाल में वादी संख्या 1 व 2 के पिता/पति भीयाराम पुत्र श्री ओगड़राम को वसीयतनामा दिनांक 30.12.2022 द्वारा वसीयत कर दी। खातेदार भुण्डाराम का स्वर्गवास दिनांक 04.03.2023 को हो गया। खातेदार भुण्डाराम फौत होने से खातेदार भुण्डाराम द्वारा भीयाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रभाव में आ गया तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर खातेदार भुण्डाराम के 1/3 हिस्से की भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार भीयाराम को प्राप्त हुए। भीयाराम का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2024 को हो गया, स्व. भीयाराम के वारिसान वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 है। भीयाराम निर्वसीयत फौत होने से भीयाराम के वारिसान को भीयाराम की वसीयत से प्राप्त 1/3 हिस्से की भूमि में प्रत्येक वारिस को 1/3-1/3-1/3 हिस्सा निहित हुआ तथा वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' की सम्पूर्ण भूमि में से भीयाराम के प्रत्येक वारिसान को



सहायक क्लर्क  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

1/9-1/9-1/9 हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'बी' में वादी संख्या 1 का 1/9 वॉ हिस्सा निहित व बनता है, वादी संख्या 2 का दर्ज 1/3 हिस्सा + निहित 1/9 वॉ हिस्सा कुल 4/9 वॉ हिस्सा निहित व बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज 1/3 हिस्सा + निहित 1/9 वॉ हिस्सा कुल 4/9 वॉ हिस्सा निहित व बनता है। वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं है, जबकि वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादी संख्या 1 को 1/9 वॉ हिस्से, वादी संख्या 2 को 4/9 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 4/9 वॉ हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में प्रतिवादी संख्या 1 के पति मोहनलाल पुत्र जेठाराम के नाम दर्ज है, जिसमें मोहनलाल का 1/12 हिस्सा दर्ज है। खातेदार मोहनलाल का स्वर्गवास दिनांक 21.01.2020 को हो चुका है। स्व. मोहनलाल के वारिसान भुण्डाराम (पुत्र), वादी संख्या 2 गीतादेवी (पुत्री) व प्रतिवादी संख्या 1 पानीदेवी (पत्नी) है। भुण्डाराम का भी स्वर्गवास दिनांक 04.03.2023 को हो चुका है। स्व. मोहनलाल निर्वसीयत फौत होने से उनके दर्ज 1/12 हिस्से की भूमि में उनके वारिसान भुण्डाराम, वादी संख्या 2 गीतादेवी व प्रतिवादी संख्या 1 पानीदेवी प्रत्येक को 1/3-1/3-1/3 को निहित हुआ तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में से भुण्डाराम को 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 गीतादेवी को 1/36 वॉ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 पानीदेवी को 1/36 वॉ हिस्सा निहित हुआ। भुण्डाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने निहित 1/36 वॉ हिस्से की भूमि वसीयतनामा दिनांक 30.12.2022 द्वारा भीयाराम पुत्र ओगडराम जो वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति है को वसीयत कर दी। खातेदार भुण्डाराम का स्वर्गवास दिनांक 04.03.2023 को हो गया। खातेदार भुण्डाराम फौत होने से खातेदार भुण्डाराम द्वारा भीयाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रभाव में आ गया तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर खातेदार भुण्डाराम के 1/36 वॉ हिस्से की भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार भीयाराम को प्राप्त हुए। भीयाराम का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2024 को हो गया, स्व. भीयाराम के वारिसान वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 है। भीयाराम निर्वसीयत फौत होने से भीयाराम के वारिसान को भीयाराम की वसीयत से प्राप्त 1/36 हिस्से की भूमि में प्रत्येक वारिस को 1/3-1/3-1/3 हिस्सा निहित हुआ तथा वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' की सम्पूर्ण भूमि में से भीयाराम के प्रत्येक वारिसान को 1/108-1/108-1/108 हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' में वादी संख्या 1 का 1/108 वॉ हिस्सा निहित व बनता है, वादी संख्या 2 का 1/36 + 1/108 वॉ हिस्सा कुल 1/27 वॉ हिस्सा निहित व बनता है। प्रतिवादी संख्या 1 का 1/36 + निहित 1/108 वॉ हिस्सा कुल 1/27 वॉ हिस्सा निहित व बनता है। वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का उपरोक्त हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं है, जबकि वादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादी संख्या 1 को 1/108 वॉ हिस्से, वादी संख्या 2 को 1/27 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/27 वॉ हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' 'बी' 'सी' में से वाद पत्र के पद संख्या 4 से 6 में



वर्णितानुसार उनके निहित हिस्से की भूमि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने हेतु निवेदन दिनांक 16.05.2024 को किया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के निवेदन को अस्वीकार कर दिया, इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना पड़ा है। वादकारण दिनांक 16.05.2024 को वाद पत्र के पद संख्या 4 से 6 में वर्णितानुसार वादीगण के निहित हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने से इन्कार करने से तथा वादीगण वाद पत्र के पद संख्या 4 से 6 में वर्णितानुसार वादीगण के निहित हिस्से की भूमि की खातेदारी घोषणा कानूनन करवाने के अधिकारी होने से बमुकाम् ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ। वादग्रस्त कृषि भूमि 'सी' के दर्ज अन्य सहखातेदार आयचुकी, कमलादेवी, कंवरीदेवी, गोपाराम, गोविन्दराम, चन्द्रसिंह, चुनीदेवी, चैनाराम, जगदीश, जिमना, टीलाराम, ढगलीदेवी, देवी, धर्मराम, नरेश, प्रेमसिंह पुत्र बगाराम, पारीदेवी, फुलीदेवी, भंवरीदेवी, मुनीदेवी, मैनादेवी, मिश्रीलाल, मीरा, रूपाराम, राजूदेवी, लादूराम, सुन्दरदेवी, सुवादेवी व सुशीला को प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया है क्योंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उपरोक्त सहखातेदार के दर्ज हिस्सों के सम्बंध में व उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष से उपरोक्त दर्ज अन्य सहखातेदारान के न तो हिस्से प्रभावित होंगे व न ही उनका नाम प्रभावित होगा। इसलिए प्रस्तुत वाद में उपरोक्त सहखातेदारान आवश्यक पक्षकार नहीं है। इसलिए इन्हे प्रस्तुत वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि 'ए' व 'बी' में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 1 का चालु जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 के यहा रहन होने से प्रतिवादी संख्या 2 को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाया गया है। दावा बाबत् खातेदारी घोषणा के लिये होने से तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई करने व श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5867/4560 रकबा 0.1860 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5870/4566 रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5872/4572 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5873/4572 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5876/4574 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5878/4559 रकबा 0.2022 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5881/4567 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5882/4580 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5886/4583 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5888/4587 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 10 कुल रकबा 2.6939 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 को 1/9 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 को 4/9 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 को 4/9 वॉ हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 5861/4562 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा संख्या 5862/4562 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, कुल खसरा संख्या 02 कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 को 1/9 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 को 4/9 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 को 4/9 वॉ हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे। राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील



सहायक क्लर्क  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4570 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4571 रकबा 0.1375 हैक्टेयर, खसरा संख्या 4573 रकबा 0.2751 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर में से स्व. मोहनलाल पुत्र जेठाराम के दर्ज 1/12 वॉ हिस्से के स्थान पर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में से वादी संख्या 1 को 1/108 वॉ हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/27 वॉ हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/27 वॉ हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 26.06.2024 को राजीनामा पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5867/4560 रकबा 0.1860 हैक्टेयर, खसरा सं. 5870/4566, रकबा 0.3560 हैक्टेयर, खसरा सं. 5872/4572 रकबा 0.3721 हैक्टेयर, खसरा सं. 5873/4572 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5876/4574 रकबा 0.1537 हैक्टेयर, खसरा सं. 5878/4559 रकबा 0.2022 हैक्टेयर, खसरा सं. 5881/4567 रकबा 0.3074 हैक्टेयर, खसरा सं. 5882/4580 रकबा 0.2427 हैक्टेयर, खसरा सं. 5886/4583 रकबा 0.4126 हैक्टेयर, खसरा सं. 5888/4587 रकबा 0.4207 हैक्टेयर, कुल खसरा सं. 10 कुल रकबा 2.6939 हेक्टेयर आई हुई है। इसी प्रकार खसरा सं. 5861/4562 रकबा 0.2185 हैक्टेयर, खसरा सं. 5862/4562 रकबा 0.2184 हेक्टेयर, कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 0.4369 हेक्टेयर आई हुई है। जो चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में वादी सं. 2, प्रतिवादी सं. 1 व भुण्डाराम के नाम से दर्ज है जिसमें वादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा व भुण्डाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है खातेदार भुण्डाराम द्वारा अपना 1/3 हिस्सा की भूमि अपने जीवनकाल में वादी सं. 1 व 2 के पिता/पति भीयाराम पुत्र ओगडराम को वसीयतनामा दिनांक 30.12.2022 द्वारा वसीयत कर दी। खातेदार भुण्डाराम का स्वर्गवास दिनांक 04.03.2023 को हो गया। खातेदार भुण्डाराम फौत होने से खातेदार भुण्डाराम द्वारा भीयाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रभाव में आ गया तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर खातेदार भुण्डाराम के 1/3 हिस्से की भूमि के संबंध में हक व अधिकार भीयाराम को प्राप्त हुए। भीयाराम का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2024 को हो गया, स्व. भीयाराम के वारिसान वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 है। भीयाराम निर्वसीयत फौत होने से भीयाराम के वारिसान को भीयाराम की वसीयत से प्राप्त 1/3 हिस्से की भूमि में प्रत्येक वारिस को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा निहित हुआ तथा उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से भीयाराम के प्रत्येक वारिसान को 1/9, 1/9, 1/9 हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी सं. 1 का 1/9 वां हिस्सा निहित व बनता है। वादी सं. 2 का दर्ज 1/3 हिस्सा + निहित 1/9 वां हिस्सा कुल 4/9 वां हिस्सा निहित व बनता है। व प्रतिवादी सं. 1 का दर्ज 1/3 हिस्सा + निहित 1/9 वां हिस्सा कुल 4/9 वां हिस्सा निहित व बनता है। वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 का उपरोक्त हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज नहीं है। जबकि वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादी सं. 1 को 1/9 वां हिस्से, वादी सं. 2 को 4/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 को 4/9 वां हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने हेतु जरिये इस राजीनामा वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 सहमत है। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं.



12  
सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 4570 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा सं. 4571 रकबा 0.1375 हैक्टर, खसरा सं. 4573 रकबा 0.2751 हैक्टर कुल खसरा सं. 3 कुल रकबा 0.4369 हैक्टर आई हुई है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि चालु जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में प्रतिवादी सं. 1 के पति मोहनलाल पुत्र जेठाराम के नाम दर्ज है जिसमें मोहनलाल का 1/12 हिस्सा दर्ज है खातेदार मोहनलाल का स्वर्गवास दिनांक 21.01.2020 को हो चुका है। स्व.मोहनलाल के वारिसान भुण्डाराम(पुत्र), वादी सं. 2 गीतादेवी (पुत्री) व प्रतिवादी सं. 1 पानीदेवी (पत्नी) है। भुण्डाराम का भी स्वर्गवास दिनांक 04.03.2023 को हो चुका है स्व. मोहनलाल निर्वसीयत फौत होने से उनके दर्ज 1/12 हिस्से की भूमि में उनके वारिसान भुण्डाराम, वादी सं. 2 गीतादेवी व प्रतिवादी सं. 1 पानीदेवी प्रत्येक को 1/3, 1/3, 1/3 को निहित हुआ तथा उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से भुण्डाराम को 1/36 वां हिस्सा, वादी सं. 2 गीतादेवी को 1/36 वां हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 पानीदेवी को 1/36 वां हिस्सा निहित हुआ। भुण्डाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने निहित 1/36 वां हिस्से की भूमि वसीयतनामा दिनांक 30.12.2022 द्वारा भीयाराम पुत्र ओगडराम जो वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के पति है को वसीयत कर दी। खातेदार भुण्डाराम का स्वर्गवास दिनांक 04.03.2023 को हो गया। खातेदार भुण्डाराम फौत होने से खातेदार भुण्डाराम द्वारा भीयाराम के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा प्रभाव में आ गया तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर खातेदार भुण्डाराम के 1/36 वा हिस्से की भूमि के संबंध में हक व अधिकार भीयाराम को प्राप्त हुए। भीयाराम का स्वर्गवास दिनांक 27.03.2024 को हो गया, स्व. भीयाराम के वारिसान वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 है। भीयाराम निर्वसीयत फौत होने से भीयाराम के वारिसान को भीयाराम की वसीयत से प्राप्त 1/36 हिस्से की भूमि में प्रत्येक वारिस को 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा निहित हुआ तथा उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में से भीयाराम के प्रत्येक वारिसान को 1/108, 1/108, 1/108 हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में वादी सं. 1 का 1/108 वा हिस्सा निहित व बनता है वादी सं. 2 का 1/36 + 1/108 वा हिस्सा कुल 1/27 वा हिस्सा निहित व बनता है। प्रतिवादी सं. 1 का 1/36 + निहित 1/108 वा हिस्सा कुल 1/27 वा हिस्सा निहित व बनता है वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 का उपरोक्त हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज नहीं है। जबकि वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त हिस्सा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है। इसलिए वादी सं. 1 को 1/108 वा हिस्से, वादी सं. 2 को 1/27 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 को 1/27 वा हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने हेतु जरिये इस राजीनामा वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 सहमत है। राजीनामा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बिना किसी दबाव के स्वस्थचित हालत में बिना किसी नशे पते के, स्वतंत्र सहमति से निष्पादित किया है जो सही है।

राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि माफिक राजीनामा राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 5867/4560 रकबा 0.1860, खसरा सं. 5870/4566 रकबा 0.3560 हैक्टर, खसरा सं. 5872/4572 रकबा 0.3721 हैक्टर, खसरा सं. 5873/4572 रकबा 0.0405 हैक्टर, खसरा नम्बर 5876/4574 रकबा 0.1537 हैक्टर, खसरा सं. 5878/4559 रकबा 0.2022 हैक्टर, खसरा सं. 5881/4567 रकबा 0.3074 हैक्टर, खसरा सं. 5882/4580 रकबा 0.2427 हैक्टर, खसरा सं. 5886/4583 रकबा 0.4126 हैक्टर, खसरा सं.



सहायक कलेक्टर  
स्वयं सप खण्ड अधिकारी  
बिलाडा


5888/4587 रकबा 0.4207 हैक्टर कुल खसरा सं. 10 कुल रकबा 2.6939 हैक्टर में से वादी सं. 1 को 1/9 वा हिस्से का , वादी सं. 2 को 4/9 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 4/9 वा हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किय जाने हेतु प्रतिवादी सं. 3 को आदेशित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 5861/4562 रकबा 0.2185, खसरा सं. 5862/4562 रकबा 0.2184 हैक्टर, कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 0.4369 हैक्टर में से वादी सं. 1 को 1/9 वां हिस्से का, वादी सं. 2 को 4/9 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 4/9 वा हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी सं. 3 को आदेशित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 4570 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा सं. 4571 रकबा 0.1375 हैक्टर, खसरा सं. 4573 रकबा 0.2751 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.4369 हैक्टर में से स्व.मोहनलाल. पुत्र जेठाराम के दर्ज 1/12 वा हिस्से के स्थान पर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में से वादी सं. 1 को 1/108वा हिस्से का , वादी सं. 2 को 1/27 वा हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 1/27 वा हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा घोषित खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी सं. 3 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी सं. 3 सरकारी पैरोकार प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।


पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, पुनः वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित दोनो ही पक्षों को राजीनामा पढकर सुनाया गया, दोनो ही पक्षों ने राजीनामा सही होना स्वीकार किया एवं कोर्ट की भावना से उक्त राजीनामों के आधार पर वाद को डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को पूर्व में तस्दीक किया गया। पत्रावली में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही। दोनो पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादीगण का दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 5867/4560 रकबा 0.1860, खसरा सं. 5870/4566 रकबा 0.3560 हैक्टर, खसरा सं. 5872/4572 रकबा 0.3721 हैक्टर, खसरा सं. 5873/4572 रकबा 0.0405 हैक्टर, खसरा नम्बर 5876/4574 रकबा 0.1537 हैक्टर, खसरा सं. 5878/4559 रकबा 0.2022 हैक्टर, खसरा सं. 5881/4567 रकबा 0.3074 हैक्टर, खसरा सं. 5882/4580 रकबा 0.2427 हैक्टर, खसरा सं. 5886/4583 रकबा 0.4126 हैक्टर, खसरा सं. 5888/4587 रकबा 0.4207 हैक्टर कुल खसरा सं. 10 कुल रकबा 2.6939 हैक्टर में से वादी सं. 1 को 1/9 वा हिस्से का , वादी सं. 2 को 4/9 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 4/9 वा हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 5861/4562 रकबा 0.2185, खसरा सं. 5862/4562 रकबा 0.2184 हैक्टर, कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 0.4369 हैक्टर में से वादी सं. 1 को 1/9 वां हिस्से का, वादी सं. 2 को 4/9 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 4/9 वा हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं.



सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाडा

3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 4570 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा सं. 4571 रकबा 0.1375 हैक्टर, खसरा सं. 4573 रकबा 0.2751 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.4369 हैक्टर में से स्व.मोहनलाल पुत्र जेठाराम के दर्ज 1/12 वा हिस्से के स्थान पर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में से वादी सं. 1 को 1/108वा हिस्से का , वादी सं. 2 को 1/27 वा हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 1/27 वा हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाडा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।




  
(मृदुला शेखावत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 13/08/14 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से



  
(मृदुला शेखावत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाडा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तादाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा  
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. प्रेमसिंह सेपटा पुत्र स्व. श्री भीयाराम सेपटा, आयु 28 वर्ष, जाति सीरवी निवासी चैनपुरा की ढाणी के पास बेरा बादेली, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. गीतादेवी पुत्री स्व. श्री मोहनराम पत्नी स्व. श्री भीयाराम सेपटा, आयु 56 वर्ष जाति सीरवी निवासी चैनपुरा की ढाणी के पास बेरा बादेली, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. पानीदेवी पत्नी स्व. श्री मोहनराम, जाति सीरवी निवासी कागों का बेरा वार्ड नं. 6 बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
2. शाखा प्रबन्धक, एक्सिस बैंक शाखा बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. राजस्थान, सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
बाबत खातेदारी घोषणा हेतु

राजस्व वाद संख्या :- 57 / 2024

निर्णय

दिनांक :- 13/08/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1की ओरं से श्री राजेन्द्र प्रसाद चौहान, प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी सं. 1 व 2 व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा स्वीकार राजीनामा के अनुसार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 5867/4560 रकबा 0.1860, खसरा सं. 5870/4566 रकबा 0.3560 हैक्टयर, खसरा सं. 5872/4572 रकबा 0.3721 हैक्टयर, खसरा सं. 5873/4572 रकबा 0.0405 हैक्टयर, खसरा नम्बर 5876/4574 रकबा 0.1537 हैक्टयर, खसरा सं. 5878/4559 रकबा 0.2022 हैक्टयर, खसरा सं. 5881/4567 रकबा 0.3074 हैक्टयर, खसरा सं. 5882/4580 रकबा 0.2427 हैक्टयर, खसरा सं. 5886/4583 रकबा 0.4126 हैक्टयर, खसरा सं. 5888/4587 रकबा 0.4207 हैक्टयर कुल खसरा सं. 10 कुल रकबा 2.6939 हैक्टयर में से वादी सं. 1 को 1/9 वा हिस्से का, वादी सं. 2 को 4/9 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 4/9 वा हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 5861/4562 रकबा 0.2185, खसरा सं. 5862/4562 रकबा 0.2184 हैक्टयर, कुल खसरा सं. 2 कुल रकबा 0.4369 हैक्टयर



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

में से वादी सं. 1 को 1/9 वां हिस्से का, वादी सं. 2 को 4/9 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 4/9 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 4570 रकबा 0.0243 हैक्टर, खसरा सं. 4571 रकबा 0.1375 हैक्टर, खसरा सं. 4573 रकबा 0.2751 हैक्टर कुल खसरा 3 कुल रकबा 0.4369 हैक्टर में से स्व. मोहनलाल पुत्र जेठाराम के दर्ज 1/12 वां हिस्से के स्थान पर उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में से वादी सं. 1 को 1/108वां हिस्से का, वादी सं. 2 को 1/27 वां हिस्से का व प्रतिवादी सं. 1 को 1/27 वां हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाडा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा को निर्णय का हिस्सा पढा जावे।



(मृदुला शेखावत)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाडा

तीज - मुंबलिंग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/8/2024 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(मृदुला शेखावत) 13/8/24  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाडा